The centres already developed by the Department of Tourism and India Tourism Development Corporation in the North Eastern Region since April 1956 are:—

Gauhati	1. Tourist Bureau
	2. Rest House (LIG)
	3. Tourist Bungalow
	4. Hotel (preliminary work only)
Kaziranga	5. Forest Lodge
	6. Electrification of Sanctuary
	7. 2 Mini buses
	8. 4 trained elephants
Manas	9. Mini buses
Cherrapunji	10. Improvement of existing rest house.
Shillong	11. Low Income Group Rest House.

Total amount (approx.) spent from April 1956 to March 1981 is Rs. 39,33,535.

Agartala Airport

1957. SHRIMATI ILA BHATTACHARYA: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the seating arrangement at Agartala Airport Lounge is not upto the mark; and

(b) if so, what steps have been taken or are proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI A. P. SHARMA): (a) and (b) Yes, Sir. With the introduction of Boeing 737 traffic, the need to provide better passenger handling facilities, extension and modifications to the existing terminal building had arisen. Accordingly sanctions were issued and work at an estimated cost of Rs. 12.98 lakhs is now in progress and is likely to be completed by March, 1982.

After completion there will be adequate seating capacity for arriving and departure traffic.

Purchase of raw jute from Tripura

1958. SHRIMATI ILA BHATTACHARYA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what steps Government have taken to purchase the whole quantity of raw jute produced in Tripura by directly procuring from the cultivators or from Apex Marketing Co-operative Society in Tripura;

(b) whether Government have taken any decision in this regard; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN): (a) to (c) Considering the peculiar geographical position of Tripura, highest priority has been given to this State. The target of procurement for Tripura for this year has been kept at 0.50 lakh bales (JCI: 0.20 and Coop: 0.30 lakhs bales), representing nearly 50 percent of its total production of Jute and Mesta. At present JCI has four

DPCs and one sub centre in Tripura. The Cooperatives have plans to increase their procurement centres from 85 to 123. Government of Tripura have also introduced a system of issuing jute cards to growers in order to avoid purchases from middlemen. So far 139 bales have been procured while in the same period last year no purchases were made.

तमिलनाडु राज्य में सीमा चैक पोस्टों पर अनियमितताएं

1959. **श्री रामेश्वर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा प्राइवेट पार्टियों को बेची जाने वाली अनुपयोगी वस्तुओं पर 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर तथा 5 प्रतिशत अधिभार लिया जाता है ;

(ख) इस बात के क्या कारण हैं कि दि प्राइवेट पार्टियों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जाने वाली इसी प्रकार की वस्तुओं पर सीमा चैक-पोस्टों पर 10 प्रतिशत बिक्री कर जबरन तौर पर वसूल किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान तमिलनाडु राज्य के बाहय चैक पोस्टों पर घोर अनियमितताओं के इस प्रकार के कुछ मामलों की ओर दिलाया गया है, और यदि हां, तो इस मामले में क्या निवारक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) किसी राज्य के भीतर होने वाली बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाना संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत, राज्य कराधन का विषय है । केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत माल की अन्तर्राज्यीय-बिक्री पर लगने वाले कर से प्राप्त होने वाले राजस्व भी संविधान की धारा 269 (1) (छ) के अन्तर्गत राज्यों को सौंपा गया है और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का प्रशासन कानून द्वारा राज्य सरकारों के बिक्री कर अधिकारियों को सौंपा गया है, जो इस प्रकार के कर का निर्धारण करते हैं और उसे वसूल करके अपने पास रखते हैं । सरकार अथवा पंजीकृत व्यपारियों को की जाने वाली बिक्री पर लगने वाली केन्द्रीय विक्रय कर की सामान्य दर 4% है । अपंजीकृत व्यपारियों को की जाने वाली बिक्री के मामले में, घोषित वस्तुओं पर 8% से और अघोषित वस्तुओं पर 10% से अथवा सम्बन्धित राज्य में घोषित वस्तुओं के अलावा वस्तुओं को बिक्री अथवा खरीद पर लागू दर से, दोनों में जो भी अधिक हो, बिक्री कर लगाया जाता है। केन्द्रीय विक्रीय कर अधिनियम में 'व्यापारी' की परिभाषा में सरकार को शामिल किया गया है लेकिन, उसके अन्तर्गत सरकार द्वारा फालतू अनुपयोगी अथवा पुराने स्टोर या सामान अथवा अपशिष्ट उत्पादों या पुरानी अथवा बेकार पड़ी मशीनरी या पुर्जे अथवा उनके फालतू सामान की बिक्री, सप्लाई अथवा वितरण शामिल नहीं है ।

इसलिए अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की किसी भी बिक्री पर लगने वाले केन्द्रीय बिक्री कर की दर का निर्धारण सम्बन्धित राज्य के सक्षम बिक्री कर अधिकारियों द्वारा, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना होगा । माननीय सदस्य के ध्यान में यदि कोई खास मामला हो